प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी नारायणखेड़ा व भू.अ. निरिक्षक नायकिया तहसील रा[यपुर]

मोहनजी,

निवेदन है कि प्रार्थी का नाम खाता 81 व 101 में लेहरू पिता ने के बजाय लेहरू पिता गिरधारी दर्ज रेकार्ड है गिरधारी प्रार्थी के दादा होने से लेहरू पिता ~~भेरु~~ गिरधारी के बजाय लेहरू पिता नोला किया जाना उचित है। रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

[signature]
प. नारायणखेड़ा

[signature]

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 तहसील रायपुर

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का नारायणखेड़ा एवं भू.अ.निरीक्षक नायकिया के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 81 व 101 में खातेदार लेहरू पुत्र गिरधारी कुमावत के बजाय लेहरू पुत्र नोला कुमावत दर्ज किया जाना अपेक्षित है।

[signature]

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्र.गा.के.संग/2021/2741 (2021/221) दि. 14.10.21

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी [illegible] भू.अ.निरी. व तहसीलदार रायपुर व संलग्न दस्तावेजों के [illegible] ग्राम तेज्याखेड़ी) के खा. नं. 81 व 101 मे सहखातेदार लेहरू [illegible] के बजाय लेहरू पुत्र नोला कुमावत शुद्ध किया जावे, तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

[signature]
14.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:13:53 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

लेहरूलाल पिता नोला कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 27 सन् 2021 (2021/221)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थी लेहरूलाल पिता नोला कुमावत निवासी खुटियाखेड़ा तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 81, 101 क्रमशः किता 2 रकबा 1.15 है0, किता 2 रकबा 0.10 है0, भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी लेहरू पुत्र गिरधारी कुमावत सा. खुटियाखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के लेहरू पुत्र नोला कुमावत सा. खुटियाखेड़ा के बजाय लेहरू पुत्र गिरधारी कुमावत सा. खुटियाखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम लेहरू पुत्र नोला कुमावत सा. खुटियाखेड़ा है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 81, 101 में खातेदार लेहरू पुत्र गिरधारी कुमावत सा. खुटियाखेड़ा के बजाय लेहरू पुत्र नोला कुमावत सा. खुटियाखेड़ा दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार लेहरू पुत्र गिरधारी कुमावत सा. खुटियाखेड़ा के बजाय लेहरू पुत्र नोला कुमावत सा. खुटियाखेड़ा के नाम राज[illegible] स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया [illegible] पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर[illegible]। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:13:53 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	